न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/13/2025	2025/49	21.03.2025	13.05.2025

1. कासम पुत्र गणपत जाति जोगी निवासी ग्राम छीलोडी तह0 रैणी जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. घीसाराम उर्फ घीस्या पुत्र बुद्ध जाति कोली निवासी ग्राम छिलोडी तह0 रैणी जिला अलवर राज0।
2. सरकार जर्ये तहसीलदार रैणी, तहसील रैणी जिला अलवर।

— अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री अनूप खटाणा —वकील प्रार्थी
02—श्री दलेर सिंह —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी के प्रकरण बउनवान घीसाराम उर्फ घीस्या बनाम तहसीलदार रैणी को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मु0 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी हाल खाता नम्बर 90, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.24, 511 रकबा 0.22, 513 रकबा 0.43, 514 रकबा 0.13, 522 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम छिलोडी तहसील रैणी जिला अलवर मे स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत आधार हल्का पटवारी से मिल्लत कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करा कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर के समक्ष बअनुवानी घीसाराम उर्फ घीस्या बनाम तहसीलदार रैणी प्रार्थनापत्र धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत दायर कर दिया। अप्रार्थी सख्या 1 उपरोक्त वर्णित आराजीयात के लगती हुऐ प्रार्थी की कब्जे काश्त की जमीनो मे से पत्थरगढी की आड में दखल पैदा करने को अमादा है। इस बाबत अजमेर बोर्ड मे मुकदमे लम्बित है। उक्त केस का पता लगने पर मिन प्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु दरख्वास्त पेश की जिसे तहत अदालत द्वारा स्वीकार की लेकिन तहत अदालत द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का आनन फानन में केवल अप्रार्थी संख्या 1 के तथ्यों को सही मानकर उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण करने को अग्रसर है। तहत अदालत द्वारा उक्त केस मे आगामी पेशी 9/4/2025 मुकर्रर की गई जिसे बाद मे परिवर्तित कर नजदीक की पेशी 19/3/2025 नियत फरमा दी गई है। जो न्यायोचित नहीं है, कार्यालय ग्राम पंचायत छिलोडी पंचायत समिति रैणी द्वारा अपने लेटर पैड पर तहत अदालत के समक्ष पत्थरगढी व पैमायश पर रोक लगाने व अप्रार्थी सख्या 1 का प्रार्थनापत्र निरस्त करने हेतु एक पत्र भी पेश किया गया व पैमायश, पत्थरगढी बाबत अप्रार्थी सख्या 1 घीसाराम उर्फ घीस्या के पुत्र गोपाल कोली द्वारा एक रिपोट संबंधित थाना राजगढ जिला अलवर के समक्ष पेश की जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया। विवादित आराजी की बाबत मिन प्रार्थी व उनके फैमेली मैम्बरों के मध्य राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष मुकदमा अपील सख्या 5773/10 बअनुवानी हुसैन खांपुत्र गणपत बनाम श्रीमती इन्द्रा देवी वगैहरा लम्बित है व स्टे ऑर्डर जारी है। जिस अपील के निस्तारण से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थनापत्र धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को कानूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही होगा। जिसे खारिज किए जाने योग्य है।

प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी सख्या 1 को तहत अदालत के कार्यालय में आते जाते देखा है। दिनांक 12/3/2025 को भी अप्रार्थी संख्या 1 तहत अदालत के कार्यालय से बाहर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

आया तो मिन प्रार्थी को देखकर अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मेरी बात हो गई है मै अपने उक्त प्रार्थनापत्र का फैसला अपने हक मे कराकर मौके पर जल्द से जल्द पतथरगढी कराउँगा। तुम से जो होवे कर लेना। यदि ऐसा हो गया तो अजमेर बोर्ड मे लम्बित मुकदमो पर विपरीत असर पडेगा व अन्याय को बल मिलेगा व अप्रार्थी के हौसले बुलन्द होगे। अप्रार्थी संख्या 1 को समझाने पर अप्रार्थी संख्या 1 मरने मारने व झगडा फिसाद करने को अग्रसर है। अप्रार्थी सख्या 1 लठ–बल वाला व राजनैतिक पहुँच रखने वाला व पैसे वाला झगडालू व्यक्ति है। तहत अदालत अप्रार्थी सख्या 1 के बेजा दबाव व प्रभाव में हैं। जिस वजह से मिन प्रार्थी तहत अदालत से न्याय की कोई उम्मीद नही है। जिस हेतु मिन प्रार्थी हकूक की सुरक्षार्थ न्यायहितार्थ तहत अदालत के समक्ष लम्बित प्रार्थनापत्र धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बअनुवानी घीसाराम उर्फ घीस्या बनाम तहसीलदार रैणी मुकदमा नम्बर 03/02/21 की पत्रावली किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल करवाना चाहता है जिसे मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष बहक प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थीगण अताः फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि हाल खाता संख्या १० खसरा नम्बर 510 रकबा 0.24, 511 रकबा 0.22, 513 रकबा 0.43, 514 रकबा 0.13, 522 रकबा 0.07 हेक्टर वाके ग्राम छिलोडी तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। मिन अप्रार्थी द्वारा गलत आधार पर पटवारी हल्का से मिल्लत कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार कराकर उपखण्ड अधिकारी रैणी के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत गलत तथ्यों के आधार पर कोई प्रार्थना पत्र धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हो यह भी गलत है कि मिन अप्रार्थी पत्थरगडी की आड में प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में कोई दखल पैदा करता हो, बल्कि पूर्व में जो पैमायश कराई गई थी वह राजस्व टीम में द्वारा कराई गई थी, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद थे और उनके समक्ष ही पैमायश की गई थी, जिसकी एक रिपोर्ट पालना सीमा ज्ञान भी दिनांक 25–06–2021 को तैयार की गई थी। पूर्व में जो तारीख पेशी दिनांक 09–04–2025 नियत की गई थी उस समय कोई पीठासीन अधिकारी नहीं थे और जनरल डेट लगाई थी। किन्तु बाद में पीठासीन अधिकारी के आने पर मिन अप्रार्थी द्वारा नजदीक की पेशी लगाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 19–03–2025 की पेशी नियत की गई थी, जो वर्तमान में दिनांक 16–04–2025 है, जो शीघ्र न्याय करने की दृष्टि से नियत की जा रही है। यहकि प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी के खिलाफ जो आक्षेप लगाये हैं वह महज कल्पना के आधार पर लगाये गये हैं। जिनमें ना तो कोई तारीख दर्ज की गई है और ना ही कोई आक्षेप लगाया है। मिन अप्रार्थी एक शांति प्रिय साधारण व्यक्ति है, जिसका राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह गलत है कि तहत अदालत मिन अप्रार्थी के दबाव व प्रभाव में हो एवं यह भी गलत है कि प्रार्थी को तहत अदालत से न्याय की कोई आशा नहीं हो। बल्कि तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी न्याय पूर्वक कार्यवाही कर रहे हैं और मिन अप्रार्थी का कोई दबाव अथवा प्रभाव पीठासीन अधिकारी पर नहीं है। मौजूदा प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी रैणी से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के कोई आधार नहीं है तथा प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थी ने पूर्व में भी एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पूर्व पीठासीन अधिकारी के खिलाफ प्रस्तुत की थी, जिसमें भी उपरोक्त आक्षेप ही लगाये गये थे, जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01–10–2024 को खारिज फरमा दिया गया। जिस कारण प्रार्थी ने पुनः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो गलत है और खारिज फरमाये जाने योग्य है। पूर्व में उक्त प्रकरण में कुल 19 व्यक्ति पक्षकार थे एवं प्रार्थी द्वारा पूर्व में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें 19 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। जिसमें अन्य लोगों ने किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया और ना ही तहत अदालत से न्याय प्राप्त नहीं होने का कोई तथ्य पेश किया। वर्तमान में बाद संशोधन उक्त प्रकरण में कुल 29 व्यक्ति पक्षकार हैं, किन्तु प्रार्थी ने अन्य लोगों को ना तो तर० अप्रार्थी बनाया है और ना ही उनको पक्षकार मुकदमा बनाया है। जबकि कानूनन सभी व्यक्तियों

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अन्य लोगों को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। माह अप्रैल से माह जून तक आम तौर पर सभी कृषि भूमि खाली रहती है, जिनमें इस दौरान कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है और सीमा ज्ञान खाली भूमि में ही कराया जा सकता है। प्रार्थी की मुख्य मंशा यह है कि वो किसी ना किसी प्रकार से उक्त अवधि को निकाल दे जिससे प्रार्थी को सीमा ज्ञान नहीं हो सके और उक्त प्रकरण चलता रहे। मौजूदा प्रार्थना पत्र दिनांक 15–09–2021 को पेश किया गया था, जिसे चार साल का समय होने को आया और उक्त चार साल का समय प्रार्थी ने बाहनाबाजी करके टालबाल करके समय निकाला, मौजूदा प्रार्थना पत्र भी इसी नियत से पेश किया गया है, जो खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे, अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है उक्त से संबंधित उनवानी प्रार्थना पत्र 03/02/2021 उनवानी घीसाराम उर्फ घीस्या बनाम तहसीलदार रैणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 02 के संबंध में निवेदन है कि वादी (कासम) की आपत्ति पर तहसीलदार रैणी से रिपोर्ट प्राप्त कि गई, जिसमे तहसीलदार रैणी ने कथन किया गया कि दिनांक 25.06.2021 को श्री घीस्या पुत्र बुद्धा जाति कोली निवासी छीलोड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र द्वारा पैमाईश कराई गई वक्त पैमाईश उपस्थित ग्रामवासियों समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया था। प्रार्थी ने इस प्रकरण से संबंधित वाद अजमेर बोर्ड में विचाराधीन होने अवगत कराया है जबकि वादी द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात में अप्रार्थी (घीसाराम उर्फ घीस्या) जिन खसरा नम्बरों में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है उन खसरों का अंकन नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में खसरा नं. 523, 524, 525, 526, 180, 181, 182 आराजी अपील बअनुवनी हुसैन खां बनाम, श्रीमति इन्द्रा देवी वगैरा विचाराधीन है, जो अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 28.09.2010 के विरूद्ध है, कि जिसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2009 को निरस्त किया गया है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार है उक्त प्रकरण विधि अनुरूप बिना कोई भेद भाव के कार्यवाही की जा रही है एवं निराधार आक्षेप लागये गये है। पीठासीन अधिकारी प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 4 व 5 जो काबिल ए गौर श्रीमान है। प्रार्थना पत्र का अन्तिम पैरा बाबत् अनुतोष है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण विधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान